

204
सं०: /नेडा-एसई-रुफटाप-फेज-2/2019
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
दिनांक 29 अप्रैल, 2021

कार्यालय ज्ञाप

अभिकरण द्वारा आवासीय भवनों में ग्रिड कनेक्टेड सोलर रुफटाप पावर प्लांट की स्थापना हेतु निविदा संख्या संख्या-01/यूपीनेडा/एसपीवी/जीसीआरटी/2019-20 आमंत्रित की गयी थी जिसमें प्राप्त न्यूनतम अनुमोदित दरों एवं विशिष्टियों पर कार्य करने की सहमति के आधार पर फर्मों को इम्पैनल किया गया है। इसके अंतर्गत मैसर्स बी0एन0 सौर ऊर्जा प्राजेक्ट्स प्रा0लि0, 536/604, मधेगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ को पत्र संख्या-6169/नेडा-एसई-रुफटाप-फेज-2/2019 दिनांक 16.01.2020 के द्वारा इम्पैनल किया गया है।

फर्म के प्रोपराइटर श्री नीरज बाजपेयी द्वारा, अनुमोदित दरों एवं विशिष्टियों पर कार्य करने की सहमति के आधार पर कार्यक्रम के अन्तर्गत इम्पैनल होने के बाद भी कार्यक्रम की क्रियान्वयन एजेंसी-यूपीनेडा तथा इसके अधिकारियों के विरुद्ध निरंतर तथा अकारण, तथ्य एवं साक्ष्य विहीन आरोप लगाकर तथा अपने टवीटर हैंडल एवं घरना प्रदर्शन के माध्यम से आम जन को भ्रमित कर कार्यक्रम की प्रगति को प्रभावित किये जाने तथा अभिकरण की छवि धूमिल होने के दृष्टिगत फर्म मैसर्स बी0एन0 सौर ऊर्जा प्राजेक्ट्स प्रा0लि0, 536/604, मधेगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ को अभिकरण पत्र संख्या 6170/नेडा-एसई-रुफटाप -फेज-2/2019 दिनांक 08-01-2021 द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है।

इस क्रम में फर्म मैसर्स बी0 एन सौर ऊर्जा प्रोजेक्स प्रा0 लि0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या 7104(एम/बी) वर्ष 2021 दायर किया गया जिस पर मा0 उच्च न्यायालय ने निम्नवत् आदेश पारित किया है:-

In view of the aforesaid, the impugned order dated 08-01-2021 passed by Director, U.P.New & Renewable Energy Development Agency, as contained in Annexure No.1 to the writ petition is hereby quashed. The writ petition is thus, allowed.

We further provide that the decision in the matter shall be taken afresh by the appropriate authority of U.P.NEDA, in accordance with law, as also taking into account the observations made hereinabove.

माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ वेंच लखनऊ द्वारा पारित आदेश के समादर में अभिकरण पत्र संख्या 6170/नेडा-एसई-रुफटाप-फेज-2/2019 दिनांक 08-01-2021 को निरस्त किया जाता है।

(भवानी सिंह खंगारौत)
निदेशक, यूपीनेडा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मैसर्स बी0एन0 सौर ऊर्जा प्राजेक्टस प्रा0लि0, 536/604, मधेगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ।
2. प्रभारी कम्प्यूटर, यूपीनेडा।
3. प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, पूर्वान्चल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, कैस्को, टोरेंट पावर एवं एनपीसीएल।
5. मुख्य अभियंता (डीसीएम) यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, लखनऊ।

13/3/21
(भवानी सिंह खंगारौत)
निदेशक, यूपीनेडा।